यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, एल.डी.भट्ट राजकीय चिकित्सालय, काशीपुर, ऊधम सिंह नगर द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, एल.डी.भट्ट राजकीय चिकित्सालय, काशीपुर, ऊधम सिंह नगर के माह 09/2013 से 07/2017 के लेखा-अभिलेखों की लेखापरीक्षा पर आधारित निरीक्षण प्रतिवेदन श्री संजय कुमार, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, श्री पवन कुमार, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी तथा श्री प्रमोद कुमार चौधरी, वरिष्ठ लेखापरीक्षक द्वारा श्री राकेश कुमार, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण में दिनांक 17.08.2017 से 24.08.2017 तक सम्पादित की गयी।

भाग- **I**

1). परिचयात्मकः इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री अरविन्द शर्मा, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री खजान सिंह, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 04.09.2013 से 09.09.2013 तक श्री सुनील कल्ला, लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 07/2006 से 08/2013 तक के लेखा-अभिलेखों की जांच की गयी थी।

2). **(i).** इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, एल.डी.भट्ट राजकीय चिकित्सालय, काशीपुर, ऊधम सिंह नगर के भौगोलिक अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत काशीपुर के साथ-साथ सम्पूर्ण ऊधम सिंह नगर आता है । चिकित्सालय में आये रोगियों को समुचित स्वास्थ्य लाभ प्रदान करवाना कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, एल.डी.भट्ट राजकीय चिकित्सालय, काशीपुर, ऊधम सिंह नगर के क्रियाकलाप के अंतर्गत आता है ।

ii). (अ). विगत वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(रु लाख में)

वित्तीय वर्ष	आयोजनागत		आयोजनेत्तर	
	आवंटित धनराशि	व्यय धनराशि	आवंटित धनराशि	व्यय धनराशि
2013-14	71.03	52.11	493.15	467.75
2014-15	64.75	56.77	563.80	525.06
2015-16	41.45	37.06	539.78	489.59
2016-17	41.18	38.72	538.51	492.03

(ब). **Autonomous Bodies** की इकाइयों के विगत तीन वर्षो में बजट आवंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैं:

(रु लाख में)

वर्ष	लागू नही	लागू नही	लागू नही
प्रारम्भिक शेष			
वर्ष के दौरान प्राप्तिया (क) केंद्रान्श (ख) राजयांश (ग) अन्य प्राप्तिया			
व्यय			
अंतिम शेष			

(स). केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

(रु लाख में)

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष	प्राप्त	व्यय	अधिक्य(+)/ बचत(-)	ब्याज
2012-13	--	--	--	--	--	--
2013-14	--	--	--	--	--	--
2014-15	--	--	--	--	--	--
2015-16	--	--	--	--	--	--
2016-17	--	--	--	--	--	--

iii). इकाई को बजट आवंटन राज्य योजना (महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून) द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई 'B' श्रेणी की है।

विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः-

a).प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखंड, देहरादून

b).महानिदेशक- चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखंड, देहरादून

c).निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, कुमाऊँ मण्डल, उत्तराखंड, नैनीताल

d). मुख्य चिकित्सा अधिकारी- जनपद

e). मुख्य चिकित्सा अधीक्षक

iv). लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः वर्तमान लेखापरीक्षा 09.2013 से 07.2017 तक की अवधि को आच्छादित करते हुए कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, एल.डी.भट्ट राजकीय चिकित्सालय, काशीपुर, ऊधम सिंह नगर के लेखा-अभिलेखों की नमूना जांच के आधार पर की गयी I यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, एल.डी.भट्ट राजकीय चिकित्सालय, काशीपुर, ऊधम सिंह नगर की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 03.2017 एवं 09.2013 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया I प्रतिचयन अधिकतम व्यय के आधार पर किया गया।

v). लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद- 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी.पी.सी. एक्ट, 1971) की धारा 13; लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग-द्वो(ब)

प्रस्तर-1- धनराशि रू. 2,48,447/- की निष्प्रयोज्य सामग्री की नीलामी इकाई द्वारा नहीं किया जाना।

कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधीक्षक एल.डी. भट्ट चिकित्सालय, काशीपुर द्वारा उपलब्ध करायी गयी अनुपयोगी सामग्री/मशीनों के अवलोकन में पाया गया कि चिकित्सालय में धनराशि रू. 248447/- की सामग्री अक्रियाशील/निष्प्रयोज्य पड़ी हुई है, जिसकी नीलामी किया जाना लंबित है, जिसका विवरण निम्नलिखित है।

क्र. सं.	सामग्री/उपकरण का नाम	सं.	(दर) मूल्य	कुल मूल्य	सामग्री के प्राप्ति का वर्ष	सामग्री के अक्रियाशील/निष्प्रयोज्य होना का वर्ष	स्थिति
1.	Weaving machine	2	410	820	15.06.2009	---	निष्प्रयोज्य
2.	Suction Machine	5	9800	49000	10.04.2010	2015-16	निष्प्रयोज्य
3.	Niddle cutter	3	1250	3750	2013-14	2016-17	निष्प्रयोज्य
4.	V.P. instrument	4	2950	11800	23.01.2015	2016-17	निष्प्रयोज्य
5.	Labourtable	1	31365	31365	14.01.2007	2014-15	निष्प्रयोज्य
6.	Dressing drum	4	1788	7152	10.11.2007	2016-17	निष्प्रयोज्य
7.	Chair	6	1550	9300	10.11.2012	2016-17	निष्प्रयोज्य
8.	Operation Table Hydrozotic	1	68555	68555	11.05.2007	----	निष्प्रयोज्य
9.	Oxygen flow meter with humidiy	6	1190	7140	----	2016-17	निष्प्रयोज्य
10.	Operation table	2	17880	35760	15.02.2007	-----	निष्प्रयोज्य
11.	Streture on trolly	1	14805	14805	15.08.2010	-----	निष्प्रयोज्य
12.	Revolving chair	4	2250	9000	28.08.2012	2016-17	निष्प्रयोज्य
			योग	**2,48,447**			

इस के संबंध में लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा उत्तर में बताया गया कि उपरोक्त अक्रियाशील सामग्री मरम्मत योग्य नहीं है एवं निष्प्रयोज्य घोषित कर नीलामी की प्रक्रिया हेतु भविष्य में अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि अक्रियाशील सामग्री को निष्प्रयोज्य घोषित कर उसकी यथाशीघ्र नीलामी कर उक्त सामग्रियों को और अधिक होने वाले मूल्य ह्रास एवं विभागीय प्राप्तियों की हानि से बचाया जाना चाहिए था।

अतः धनराशि रू. 2,48,447/- की निष्प्रयोज्य सामग्री की नीलामी इकाई द्वारा नहीं किया जाने का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग- 2(ब)

प्रस्तर- **2 :-** रु3,**59,659/-** की धनराशि चिकित्सा प्रबन्धन समिति खाता में नियम विरुद्ध कम जमा किया जाना ।

उत्तराखण्ड शासन के पत्रांक- 236/ चि.- 2- 2003- 42/ 2003 देहरादून दिनांक- 24.03.2003 (चिकित्सा अनुभाग- 2) के अनुसार चिकित्सालयों को यूजर चार्जेज के रूप मे मिलने वाली समस्त धनराशि चिकित्सा प्रबन्धन समिति को दी जाएगी । यूजर चार्जेज के रूप में मिलने वाली धनराशि में से 50 प्रतिशत धनराशि राजकोष में जमा की जाती है ।

कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, लक्ष्मण दत्त भट्ट राजकीय चिकित्सालय, काशीपुर, ऊधम सिंह नगर की अवधि 09/2013 से 07/2017 की लेखा-अभिलेखों मे प्राप्तियों का विवरण निम्नलिखित पाया गया :-

(in Rs)

माह	**"Receipt under User Charges"**	
	Amount deposited in Treasury	**Amount deposited in CPS A/c**
09.2013	162816	98725
10.2013	152800	166127
11.2013	104820	110948
12.2013	171541	170266
01.2014	109377	82055
02.2014	130670	13092
03.2014	171875	19667
04.2014	123136	140907
05.2014	138169	150059
06.2014	161156	127363
07.2014	127560	105003
08.2014	151930	171183
09.2014	135194	129267
10.2014	115661	89515
11.2014	113926	108243
12.2014	71147	52334
01.2015	104720	130804
02.2015	120856	120241
03.2015	129322	131879
04.2015	141615	115588
05.2015	74977	85457

06.2015	108507	117373
07.2015	117246	78977
08.2015	128423	152888
09.2015	123106	97129
10.2015	88892	12566
11.2015	71828	78815
12.2015	125225	130181
01.2016	122995	108251
02.2016	196813	118643
03.2016	133197	160024
04.2016	85391	65853
05.2016	169491	154234
06.2016	144877	137686
07.2016	174117	151852
08.2016	173066	142979
09.2016	160272	146277
10.2016	98856	75026
11.2016	112779	122033
12.2016	89506	88753
01.2017	126253	87233
02.2017	98755	105225
03.2017	135048	166629
04.2017	152215	101808
05.2017	122276	123419
06.2017	126797	171494
07.2017	111387	77198
Grand Total	**60,10,586/-**	**52,91,269/-**

नियमानुसार कोषागार एवं चिकित्सा प्रबन्धन समिति खाता में 50-50 प्रतिशत धनराशि अलग- अलग जमा की जानी थी, परन्तु कोषागार एवं चिकित्सा प्रबन्धन समिति की जमा धनराशियों में रु 7,19,317/- {60,10,586 (कोषागार) - 52,91,269 (चिकित्सा प्रबन्धन समिति)} का अन्तर पाया गया । यूजर चार्जेज के रूप में कुल रु 113,01,855/- {60,10,586 + 52,91,269} प्राप्त हुये थे, जिसमें से रु 60,10,586/- *(53.2 प्रतिशत)* कोषागार में जमा किया गया था एवं रु 52,91,269/- *(46.8 प्रतिशत*) चिकित्सा प्रबन्धन समिति (खाता संख्या- 52400 201000 2029) में जमा किया गया था। अतएव रु 3**,59,659/-** {(113,01,855/ 2) - 52,91,269} चिकित्सा प्रबन्धन समिति खाता में नियम विरुद्ध कम जमा किया गया था ।

इस सन्दर्भ में लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने पर मुख्य चिकित्सा अधीक्षक ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार करते हुए चिकित्सा प्रबन्धन समिति खाता में रु 3**,59,659/-** कम जमा होने के सम्बन्ध में कहा कि "*भविष्य में नियम का पालन किया जायेगा*" एवं कोषागार में चिकित्सा प्रबन्धन समिति की खाता से अधिक धनराशि जमा होने के सम्बन्ध में कहा कि "*इसके साथ विविध प्रपत्र एवं फ़िटनेस से प्राप्त धनराशि सम्मिलित हो सकती है*" । उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि उत्तराखण्ड शासन के पत्रांक- 236/ चि.- 2- 2003- 42/ 2003 देहरादून दिनांक- 24.03.2003 (चिकित्सा अनुभाग- 2) के दिशा-निर्देश का उलंघन किया गया था ।

अतः रु 3,59,659/- चिकित्सा प्रबन्धन समिति खाता में नियम विरुद्ध कम जमा किये जाने का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है ।

भाग- 2(ब)

प्रस्तर- **3 :-** रोकड़-बही में धनराशि रु **2.61** करोड़ की प्रविष्टियों का न तो किया जाना एवं न ही रोकड़-बही का अद्यतन रखा जाना ।

शासन के पत्रांक सं०- 3/ xxvii (6)/ 2013, दिनांक 02 जनवरी 2013 के बिंदु संख्या 4.9 में ई-पेमेंट प्रणाली में दिए गये दिशा-निर्देशों के अनुसार 'आहरण एवं संवितरण अधिकारी इन्टरनेट की सहायता से अपने देयकों की धनराशि सम्बंधित के बैंक खातें में अंतरण हो जाने के विवरण का प्रिंट प्राप्त करेंगे तथा भुगतान सम्बंधित अभिलेखों - यथा 11 सी पंजिका, कैशबुक, बिल रजिस्टर आदि में इनके प्राप्त होने की प्रविष्टि यथा स्थान पर करेंगे इसके अतिरिक्त, Form BM- 05 में DDO द्वारा सम्बंधित माह में किये गये लेनदेनों के सत्यापन हेतु स्पष्ट रूप से वर्णित है कि ''Certified that all the drawals shown in the statement are correct except the followings ones (if any) which have not been made by me'' and ''Besides the above the following are also the drawals (if any) by me during the month which have not been shown in the statement.''

कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, एल.डी. भट्ट राजकीय चिकित्सालय, काशीपुर, ऊधम सिंह नगर की रोकड़-बही की नमूना जाँच में पाया गया कि विस्तृत जांच हेतु चयनित माह मार्च 2017 एवं सितम्बर 2013 में ट्रेजरी द्वारा प्राप्त **Form BM- 5** के कुल रू **1,35,90,287** + 1**,25,30,730 =** 26**1,21,017/-** की आहरित सकल धनराशि (Gross Amount) को वर्ष 2010 से रोकड़-बही के नियमानुसार रख-रखाव न किये जाने के कारण रोकड़-बही में नहीं दर्शाया गया था एवं DDO द्वारा कोषागार में उपरोक्त कथन का सर्टिफिकेट भी प्रेषित नहीं किया जा रहा था।

इस सन्दर्भ में लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने पर मुख्य चिकित्सा अधीक्षक ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार करते हुए उपरोक्त धनराशियों को रोकड़-बही में न दर्शाये जाने के कारण के सम्बन्ध में कहा कि "वर्ष 2010 के पश्चात रोकड़-बही न बनाये जाने के कारण परन्तु भविष्य में अनुपालन सुनिश्चित की जायेगी" एवं DDO द्वारा कोषागार में उपरोक्त कथन का सर्टिफिकेट प्रेषित नहीं किये जाने के सम्बन्ध में कहा कि "भविष्य में निर्देशानुसार अनुपालन सुनिश्चित की जायेगी" । उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि रोकड़-बही अद्यतन नहीं रखे जाने के साथ-साथ, शासन के पत्रांक सं०- 3/ xxvii(6)/ 2013, दिनांक 02 जनवरी 2013 के दिशा-निर्देश का उलंघन किया गया था।

अतः रोकड़-बही में धनराशि रु 2.61 करोड़ की प्रविष्टियों को न किये जाने एवं वर्ष 2010 से रोकड़-बही का अद्यतन न रखे जाने का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

भाग- 2(ब)

प्रस्तर-**4:-** विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2013-14 से 2016-17 तक के लघु निर्माण/मरम्मत के कुल रू. 140.63 लाख के कार्यों के त्रुटिपूर्ण आगणन तैयार करना एवं ठेकेदारों को रू. 1.40 लाख धनराशि का अधिक भुगतान किया जाना।

उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 740/VIII/14-680 (श्रम)/2002 टी.सी.-II, दिनांक 13 अगस्त 2014 के अनुसार पंजीकृत श्रमिकों के कल्याणकारी योजनाओं के लिए धन व्यवस्था हेतु निर्माण अधिष्ठानों द्वारा अपने निर्माण कार्य की लागत का 1 प्रतिशत उपकर कल्याण बोर्ड की निधि में जमा किए जाने का प्रावधान है तथा उपरोक्त अधिनियमों के अंतर्गत सरकारी/गैर सरकारी सभी प्रकार के ऐसे निर्माण कार्य सम्मिलित किए गए है, जिनमें 10 या 10 से अधिक निर्माण श्रमिक विगत एक वर्ष में किसी भी दिन नियोजित रहे है तथा रू. 10 लाख तक की लागत के निर्माण कार्यो को अधिनियम के प्रावधानों से मुक्त रखा गया है।

कार्यालय द्वारा वित्तीय वर्ष 2013-14 से 2016-17 तक चिकित्सा प्रबंधन समिति के प्रतिवेदन किए जाने के उपरांत विभिन्न ठेकेदारों के माध्यम से लघु निर्माण कार्य/मरम्मत के विभिन्न कार्यों जैसे जल निकासी, विद्युत मरम्मत आदि किए गए है। संबंधित लघु निर्माण कार्य (रू. 10 लाख से कम) उत्तराखण्ड प्रॉक्यूरमेंट नियमावली 2017 के नियम संख्या 48(क) के अनुसार प्रतिशत पर आधारित दर संविदा (निर्धारित दर के कम एवं अधिक प्रतिशत) की अधिप्राप्ति के अनुसार कराये गए है। उक्त लघु निर्माण कार्यों हेतु वित्तीय वर्ष 2013-14, 2014-15, 2015-16 एवं 2016-17 में क्रमशः रू. 74.91 लाख, शून्य, रू. 41.61 लाख एवं रू. 24.11 लाख का व्यय किया गया, अतः कुल रू. 140.63 लाख के लघु निर्माण/मरम्मत के विभिन्न कार्य कार्यालय द्वारा अब तक किये जा चुका है।

लघु निर्माण कार्यों/मरम्मत संबंधित अभिलेखों की जांच में पाया गया कि लघु निर्माण कार्यों हेतु तैयार किये गए आगणनों (Estimate) में श्रमकर (Labour cess) 1 प्रतिशत को कार्यों की लागत में जोड़ा गया है। इस तरह तैयर किए गए आगणन के आधार पर इकाई द्वारा ठेकेदारों को भुगतान किया गया, अतः निर्माण कार्यों के आगणन में 1 प्रतिशत Labour cess जोड़कर आगणन को 1 प्रतिशत अधिक बनाया गया है। कार्यालय द्वारा ठेकेदारों को भुगतान करते समय श्रमकर की कटौती उनके बीजकों से नहीं की जा रही है और न ही सहायक अभियंता, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल द्वारा आगणन तैयार करते समय जोड़ा गया श्रमकर उत्तराखण्ड सरकार सरकार के श्रम एवं सेवायोजना विभाग के श्रमिक कल्याण बोर्ड की निधि में जमा करवाया गया है। अतः उक्त से स्पष्ट है कि उपरोक्त नियमानुसार लघु निर्माण/मरम्मत कार्य हेतु श्रमकर जोड़े जाने का कोई प्रावधान नहीं होने के बावजूद इकाई द्वारा 1 प्रतिशत श्रमकर को कार्यों कि लागत में जोड़ कर लागत को 1 प्रतिशत बढ़ाया गया है जिसकी वसूली कर धनराशि को श्रमिक कल्याण बोर्ड निधि में जमा किया जाना अनिवार्य था, जिसका अनुपालन इकाई द्वारा नहीं किया गया है।

उपरोक्त के संबंध में लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि करते हुए इकाई ने उत्तर में बताया है कि इकाई द्वारा ठेकेदारों को भुगतान करते समय 1 प्रतिशत श्रमकर (Labour cess) नहीं काटा गया है साथ ही इकाई द्वारा भविष्य हेतु ठेकेदारों को भुगतान करते समय 1 प्रतिशत श्रमकर काटकर श्रमिक कल्याण बोर्ड में जमा करवाने के संबंध में भविष्य हेतु नोट किया गया है।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि विभाग द्वारा उक्त शासनादेश का उल्लंघन कर न केवल त्रुटिपूर्ण आगणन तैयार किए गए है बल्कि ठेकेदारों को भुगतान करते समय श्रमकर की कटौती नहीं किए जाने के कारण रू. 1.40 लाख का अतिरिक्त भुगतान ठेकेदारों को किया गया है। परिणामस्वरूप कुल रू. 140.63 लाख के लघु निर्माण/मरम्मत कार्यों का 1 प्रतिशत रू. 1.40 लाख कि धनराशि श्रमिक कल्याण बोर्ड में जमा नहीं की जा सकी जिससे रू. 1.40 लाख की शासकीय हानि हुई। अतः रू. 1.40 लाख की धनराशि की वसूली ठेकेदारों से की जानी अपेक्षित है।

अतः प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-दो(ब)

प्रस्तर-5- रू. 67.94 लाख की औषधियों का अनियमित क्रय।

उत्तराखण्ड शासन द्वारा जारी शासनादेश में यह प्रविधानित किया गया है कि परिधिगत अधिकारियों द्वारा कोटेशन प्रक्रिया द्वारा कोई भी क्रय नहीं किया जाएगा, केवल आकस्मिकता यथा आपदा, बाढ़ एवं दुर्घटना आदि परिस्थितियों में अधिप्राप्ति नियमावली 2008 के अनुसार क्रय किया जाएगा। स्थानीय क्रय भारत सरकार के उपक्रमों के साथ राज्य सरकारों के उपक्रमों जो स्वयं औषधि निर्माता हों, से उक्त स्थिति में न्यूनतम दर पर औषधि क्रय की जा सकेगी, परंतु इस हेतु क्रय किए जाने के लिए एक स्तर के ऊपर के अधिकारी का अनुमोदन, औचित्य के साथ प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा। इसके अतिरिक्त, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2008 के अनुसार निम्नतर दरों का लाभ प्राप्त करने के लिए यथासाध्य अधिकतम आवश्यक मात्रा की एक साथ अधिप्राप्ति का प्रयास किया जाए। अधिप्राप्ति मूल्य कम करने के लिए आवश्यक मात्रा को विभाजित नहीं किया जायेगा और न ही कुल आवश्यकता के आकंलित मूल्य के संदर्भ में अपेक्षित उच्चतर प्राधिकारी की संस्वीकृति प्राप्त करने की आवश्यकता से बचने के लिए छोटे-छोटे भागों में विभक्त किया जाएगा।

अभिलेखों की संवीक्षा में पाया गया कि वित्तीय वर्ष 2013-14, 2014-15, 2015-16 एवं 2016-17 में क्रमशः रू. 29.19 लाख, रू. 37.52 लाख, रू. 20.48 लाख एवं रू. 18.43 लाख यानि कुल रू. 105.62 लाख की औषधि का क्रय किया गया था। आगे, चिकित्सालय द्वारा प्रदान की गयी सूचना एवं अभिलेखों के लेखापरीक्षा विश्लेषण से ज्ञात हुआ कि उक्त रू. 105.62 लाख में से लेखापरीक्षा में आच्छादित अवधि सितम्बर 2013 से जुलाई 2017 के मध्य रूपया 6793559 (रू. 67.94 लाख) 64.32% की धनराशि की मूल्य की औषधियों का छोटे-छोटे टुकड़ों में विभक्त कर निरंतर लगभग दैनिक रूप से स्थानीय क्रय किया गया। इसके अतिरिक्त यह भी पाया गया कि औषधियों का स्थानीय क्रय औषधि निर्माता फर्मों के स्थान पर स्थानीय खुदरा औषधि विक्रेताओं से किसी आकस्मिकता के आधार पर नहीं निरंतर दैनिक रूप से किया गया एवं एक स्तर के ऊपर के अधिकारी से अनुमोदन भी प्राप्त नहीं किया गया। इस प्रकार चिकित्सालय द्वारा उक्त अवधि में स्थानीय क्रय हेतु प्रविधानित सभी नियमों का उल्लंघन करते हुए रू. 67.94 लाख की औषधियों का अनियमित रूप से स्थानीय क्रय किया गया।

लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर मुख्य चिकित्सा अधीक्षक ने स्वीकार किया कि औषधियों के क्रय हेतु एक स्तर के ऊपर के अधिकारी से अनुमोदन प्राप्त नहीं किया गया, औषधियों के क्रय हेतु निविदाए आमंत्रित नहीं की गयी, क्रय स्थानीय खुदरा विक्रताओं से आकस्मिकता के आधार पर नहीं दैनिक आवश्यकता के अनुसार किया गया। इस स्वीकारोक्ति से स्पष्ट है कि चिकित्सालय द्वारा शासनादेश एवं अधिप्राप्ति नियमावली के सभी

सुसंगत प्रविधानों का उल्लंघन करते हुए औषधियों का अनियमित रूप से स्थानीय क्रय किया गया।

प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग- 2(ब)

प्रस्तर-**6 :-** जननी सुरक्षा योजना के क्रियान्वयन में रु 1.40 करोड़ का अनियमित भुगतान किया जाना ।

जननी सुरक्षा योजना की ऑपरेशनल गाइडलाइंस के अनुसार प्रसव की संभावित तिथि से 16 से 20 सप्ताह पूर्व प्रत्येक लाभार्थी हेतु जेएसवाई कार्ड भरा जाना चाहिए एवं सभी वांछित दस्तावेजों सहित उक्त कार्ड प्रसव की संभावित तिथि से 2 सप्ताह पूर्व संबन्धित स्वास्थ्य केन्द्र के अधिकृत चिकित्साधिकारी के पास सत्यापन हेतु प्रस्तुत किया जाना चाहिए ताकि लाभार्थी को स्वास्थ्य केन्द्र से डिस्चार्ज करते समय उसको चैक प्रदान किया जा सके एवं लाभार्थी को चिकित्सालय से डिस्चार्ज करते समय अनिवार्य रूप से उसे देय धनराशि का भुगतान कर दिया जाना चाहिए। प्रसव से सात दिन पूर्व अथवा सात दिन पश्चात् किया गया भुगतान अवैध माना जाएगा।

As per the JSY guideline, cash incentive would be paid to ASHA in two installment. 50 % of the incentive would be given as First instalment after discharge of the JSY beneficiary from the health centre provided ASHA or an equivalent worker having accompanied, stayed with the pregnant woman in the health centre for delivery; and the remaining 50% of the cash incentive would be given one month after delivery when BCG vaccine has been administered to the child and she has helped in post-natal care and registration of birth of the newborn.

कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, एल.डी. भट्ट राजकीय चिकित्सालय, काशीपुर, ऊधम सिंह नगर द्वारा उपलब्ध करायी गयी सुचना के अनुसार अवधि 09.2013 से 07.2017 तक *जननी सुरक्षा योजना* के अंतर्गत कुल 9,949 लाभार्थियों एवं आशाओं को क्रमशः रू. 129.12 लाख एवं रू. 10.90 लाख का भुगतान किया गया I अभिलेखों की लेखापरीक्षा जांच में पाया गया कि जननी सुरक्षा योजना का अप्रैल 2005 से क्रियान्वित होने के बावजूद भी शत-प्रतिशत प्रकरणों में JSY कार्ड प्रसव के दिन भरे गये थे । समस्त प्रकरणों में भुगतान हेतु बनाई गई "प्रसव रजिस्टर" मे विभिन्न स्तम्भों जैसे "बच्चे की संख्या (लड़का/ लड़की), शहरी क्षेत्र एवं ग्रामीण क्षेत्र" इत्यादि मे प्रविष्टियाँ नहीं की गई थी, जिसके कारण उत्पन्न शिशु लड़का है या लड़की; लाभार्थी शहरी क्षेत्र का या ग्रामीण क्षेत्र का है, संज्ञान नहीं किया जा सकता । इसके अतिरिक्त सभी प्रकरणों में आशाओं को दो किस्त के बजाय एक ही किश्त में भुगतान किया गया था। इस प्रकार जननी सुरक्षा योजना का अप्रैल 2005 से क्रियान्वित होने के बावजूद दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करते हुए योजना के अंतर्गत रू. 140.02 लाख की धनराशि का अनियमित व्यय किया गया I

इस सन्दर्भ में लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने पर मुख्य चिकित्सा अधीक्षक ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार करते हुए कहा कि "*भविष्य में नियमानुसार कार्यवाही की*

जायेगी' । उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि राज्य में योजना के कार्यान्वयन के 12 वर्ष (April 2005) बीत जाने के बाद भी मुख्य चिकित्सा अधीक्षक JSY की कार्यान्वयन दिशा-निर्देशों के प्रति जागरुक नहीं एवं दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करते हुए अनियमित रूप से लाभार्थिओं को भुगतान किया जा रहा था I

अत: जननी सुरक्षा योजना के क्रियान्वयन में रू. 1.40 करोड़ के अनियमित भुगतान का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है I

<u>भाग-III</u>

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण:-

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-**II** 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-**II** 'ब' प्रस्तर संख्या	**STAN**	**TAN**
AIR/ SS/ 100/ 2013-14	1	1, 2 & 3	1	1, 2, 3 4, 5 & 6

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
AIR/ SS/ 100/ 2013-14	भाग- 2'अ' प्रस्तर सं- 1; भाग- 2'ब' प्रस्तर सं- 1, 2 & 3 STAN प्रस्तर सं - 1, एवं TAN प्रस्तर सं.- 4,	अप्रस्तुत	यथावत रखा जाता हैI	--

भाग-**IV**

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

..... शून्य .....

भाग-V

आभार

1). कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून, लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, एल.डी.भट्ट राजकीय चिकित्सालय, काशीपुर, ऊधम सिंह नगर तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः-

अप्रस्तुत अभिलेखः शून्य

2). सतत् अनियमितताएः शून्य

3). लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया :

नाम	पदनाम	अवधि
डॉ0 गीता रावत	मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, एल.डी.भट्ट राजकीय चिकित्सालय, काशीपुर, ऊधम सिंह नगर	विगत लेखापरीक्षा से 05.2014 तक
डॉ0 बी.सी. जोशी	मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, एल.डी.भट्ट राजकीय चिकित्सालय, काशीपुर, ऊधम सिंह नगर	05.2014 से 06.2015 तक
डॉ0 पी.के. सिन्हा	मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, एल.डी.भट्ट राजकीय चिकित्सालय, काशीपुर, ऊधम सिंह नगर	06.2015 से 12.2015 तक
डॉ0 वी.के. टम्टा	मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, एल.डी.भट्ट राजकीय चिकित्सालय, काशीपुर, ऊधम सिंह नगर	12.2015 से अब तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, एल.डी.भट्ट राजकीय चिकित्सालय, काशीपुर, ऊधम सिंह नगर को इस आशय से प्रेषित कर दी गयी, जिसकी प्राप्ति के एक माह के अन्दर अनुपालन आख्या सीधे उपमहालेखाकार (सामाजिक क्षेत्र) कार्यालय महालेखाकार लेखापरीक्षा L-216 द्वितीय तल महालेखाकार भवन निकट होटल मैनेजमेंट इन्स्टीटयूट, कौलागढ़ देहरादून को प्रेषित कर दी जाय।